सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 21/16

बलवीरसिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति जटसिख, निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. सुभाष पुत्र बृजलाल पुत्र जंगसिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं0 19, नत्थुराम पंच के घर के पास, लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी लालगढ जाटान

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश /पट्टा ग्राम पंचायत लालगढ जाटान दिनांक 28.12.1999 के प्रस्ताव से भूखण्ड सं0 बी12 चक 6 एल.एल.जी. साईज 55 गुणा 25 का पट्टा जारी करते समय बी–1 दर्ज कर दिया गया, को दुरूरूत करने के संबंध में।

उपस्थित :
श्री बलराम स्वामी, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्त्ता सं0 2
श्री राजेन्द्र ग्रोवर अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 3

आदेश **दिनांक : 28–06–2017**

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत, लालगढ जाटान से आबादी का भूखण्ड सं0 बी/12 साईज 55 गुणा 25 फुट जरिये निलामी दिनांक 1–5–99 को एक हजार रूपया में क्रय किया गया था, जिसकी निलामी राशि रसीद सं0 452 से जमा कराने पर जरिये मिसल नं0 190 पट्टा जारी किया गया, जिसमें बी/12 के स्थान पर बी/1 दर्ज हो गया जबकि निगरानीकर्ता के कब्जा में भूखण्ड सं0 बी/12 नक्शा के अनुसार कब्जा में चला आ रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा इस भूखण्ड में निर्माण किया जाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा की पुश्त पर ग्राम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पंचायत द्वारा नक्शा बनाते समय बी/12 के स्थान पर बी/1 दर्ज कर दिया गया है। भूखण्ड सं0 बी/1 व बी/12 में काफी दूरी है। बी–1 भूखण्ड का पट्टा जगाराम पुत्र हरनाम निवासी कीकर चक के नाम से जारी किया गया है, जिसपर बी/1 अंकित है। जगाराम व उसके पुत्र का देहान्त हो जाने के कारण उसके वारिस अप्रार्थी सं0 2 का बी/1 भूखण्ड पर कब्जा है। निगरानीकर्ता द्वारा निलामी में बी/12 भूखण्ड ग्राम पंचायत से क्रय किया गया है। टंकण की गलती होने से दुरूस्ती का मामला है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ता के पट्टा में भूखण्ड सं0 बी/1 के स्थान पर बी/12 अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत का रेकार्ड मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि ग्राम पंचायत लालगढ जाटान द्वारा जरिये निलामी भूखण्ड सं0 बी/12 का विक्रय निगरानीकर्ता को दिनांक 1–5–99 को किया गया है। निलामी की समस्त राशि जमा कराई जा चुकी है। पट्टे में सहबन से बी/12 के स्थान पर बी/1 लिखा गया है। नक्शे में बी–1 अंकित है। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में यह माना है कि बी/12 के स्थान पर बी/1 अंकित हो गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर सहबन से हुई गलती को संशोधित करते हुए बी/1 के स्थान पर बी/12 अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी सं0 2 के दादा जगाराम पुत्र हरनाम के नाम से वाके चक लालगढ जाटान का भूखण्ड सं0 बी/1 आवंटित किया गया था, जिसका पट्टा अप्रार्थी के दादा के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है और मौका पर भी कब्जा अप्रार्थी सं0 2 का बतौर वारिस जगाराम है। निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड अप्रार्थी के दादा को आवंटित भूखण्ड से काफी दूर है। निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड सं0 बी/12 के स्थान पर बी/1 दर्ज हो गया है। निगरानीकर्ता को जो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, उसमें बी–1 के स्थान पर बी/12 अंकित किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है।

अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीधीन प्लाट के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय, सादुलशहर में वाद लंबित है जो प्लाट सं0 बी/1 की बेदखली के संबंध में है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि भूखण्ड सं0 बी/1 जिसका पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प सं0 1 दिनांक 28–12–1999 के द्वारा दिनांक 24–12–99 को निगरानीकर्ता बलवीरसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है। निगरानीकर्ता ने निगरानी के पैरा सं0 1 में अंकित किया है कि " निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत लालगढ जाटान सेआबादी का भूखण्ड सं0 बी/12 पैमायशी 55 गुणा 25 फुट जरिये निलामी दिनांक 1–5–1999

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

को एक हजार रूपये में क्रय किया गया था, जिसकी राशि रसीद सं0 452 से जमा कराने पर जरिये मिसल नं0 190 के पट्टा जारी किया गया जिसमें बी–12 के स्थान पर बी/1 दर्ज हो गया जबकि निगरानीकर्ता के कब्जा में भूखण्ड सं0 बी/12 नक्शा के अनुसार कब्जा में चला आ रहा है''। निगरानी के पैरा सं0 5 में अंकित किया गया है कि निगरानीकर्ता को भूखण्ड सं0 बी/12 दिया गया था जबकि पट्टे पर गलती से बी–1 दर्ज हो गया है तथा निगरानीकर्ता की रिहायश बी/12 पर है, जिसमें इन्दिरा आवास का मकान भी बना हुआ है।

भूखण्ड सं0 बी/1 व बी/12 स्पष्टतः भिन्न–2 हैं तथा इन दोनों के बीच में निश्चित रूप से काफी दूरी भी है। पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किया गया आहाता सं0 बी/12 है। नक्शा जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें बी/1 व बी/12 को पृथक–2 दिखाया गया है, लेकिन यह नक्शा प्रमाणित नहीं है, केवल चित्रित प्रति है, उसपर किसी अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रस्तुत नक्शे के अवलोकन से भी दोनों भूखण्डों में स्पष्टतः भिन्नता अवस्थिति एवं आकार के हिसाब से भी है। भूखण्ड सं0 बी/1 निगरानीकर्ता के अनुसार चोकोर (आयताकार) है जबकि भूखण्ड सं0 बी/12 समलम्ब चतुर्भज है। पट्टे सं0 बी/1 अवलोकन से पाया गया कि पट्टे पर मिसल नं0 190 रसीद सं0 452 अंकित किया गया है। रसीद सं0 452 पर प्लाट सं0 बी/1 स्पष्ट अंकित है। पट्टे पर विवरण संकल्प सं0 1 दिनांक 28–12–99 अंकित है जबकि पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 24–12–99 को जारी किया जाना अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प दिनांक 28–12–99 को पारित किया गया है, उससे पूर्व पट्टा विक्रय विलेख (दिनांक 24–12–99) सम्पादित होना सन्देह पैदा करता है। पत्रावली में वार्ड पंचों एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20–5–16 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें अंकित किया है कि भूखण्ड सं0 बी/12 में बलवीरसिंह स्थाई निवास कर रहा है व बी/12 के स्थान पर बी/1 लिखा गया है जिसमें इन्दिरा आवास का मकान बना हुआ है। अभिलेख पर पंचायत के इस प्रमाण पत्र को अन्यथा साबित कर सकने वाली अन्य कोई सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। निगरानीधीन पट्टा भूखण्ड सं0 बी/1 का जारी करने में पंचायत स्तर पर ऐसी कोई अवैधानिक कार्यवाही या अनियमितता पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित नहीं है कि पट्टे पर भूखण्ड सं0 बी/12 के स्थान पर बी/1 अंकित हो गया है क्योंकि जरिये रसीद सं0 452 एक हजार रूपये प्लाट सं0 बी/1 के निमित स्पष्टतः अंकित है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानी के लिए पर्याप्त आधार साबित न होने के कारण इसे खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28–6–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)